न्यायालय सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 44/2022

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
अजबलाल पुत्र गोमाजी जाति मेघवाल निवासी धामसीन तहसील रानीवाड़ा जिला सांचौर		1. कान्तादेवी पत्नि मेहरूराम जाति कोली निवासी जाखड़ी तहसील रानीवाड़ा जिला, सांचौर 2. कान्तिराम पुत्र छगनाराम जाति कोली निवासी रामपुरा तहसील धानेरा जिला बनासकांठा 3. सुगनादेवी पत्नि हीराराम जाति कोली निवासी जाखड़ी तहसील रानीवाड़ा जिला सांचौर 4. सागर पुत्री रणछोड़ाराम जाति कोली निवासी धानोल तहसील रानीवाड़ा जिला सांचौर 5. भूमिधारी तहसीलदार, रानीवाड़ा जिला सांचौर

दावा बाबत बंटवाडा एवं जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री जबराराम पूरोहित।
2. प्रतिवादी संख्या 5 राजपेरोकार।

–: निर्णय :–

दिनांक 15.02.2024

1. वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत धारा 53, 188 बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सरहद मौजा धानोल तहसील रानीवाड़ा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की सामलाती व संयुक्त खातेदारी की आराजी नवीन खसरा नंबर 1022 रकबा 2.41 हैक्टेयर की आई हुई हैं। उक्त आराजी की खातेदारी वर्तमान जमाबंदी में अजबलाल पुत्र गोमाजी हिस्सा 2/7 जाति मेघवाल सा. धामसीन, कान्तादेवी पत्नि मेहरूराम हिस्सा 1/4 जाति कोली सा. जाखड़ी, कान्तिराम पुत्र छगनाराम हिस्सा 1/5 जाति कोली सा. रामपुरा तहसील धानेरा, सुगनादेवी पत्नि हीराराम हिस्सा 1/4 जाति कोली सा. जाखड़ी, सागर पुत्री रणछोड़ाराम हिस्सा 1/70 जाति कोली सा. देह खातेदार के नाम दर्ज हैं। उक्त आराजी को आगे वाद पत्र में "वादग्रस्त आराजी" से संबोधित किया गया हैं।

उक्त वादग्रस्त आराजी का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के बीच विधिवत बंटवाड़ा नहीं हुआ हैं। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को उक्त आराजी का आपसी सहमति से कई बार विधिवत बंटवाड़ा करवाने का कहा परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने उक्त आराजी का विधिवत बंटवाड़ा करवाने से मना कर दिया। दिनांक 20.06.2022 को वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को वादग्रस्त आराजी का मौके पर कब्जे काश्त व हिस्से माफिक आपसी सहमति से विधिवत बंटवाड़ा करवाने का कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने आपसी सहमति से वादग्रस्त आराजी का विधिवत बंटवाड़ा करवाने से मना कर दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.23 15:15:08 IST
Reason: SelfAttested

इसलिए वादी वादग्रस्त आराजी का अपने हिस्से व मौके पर कब्जे काश्त माफिक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाड़ा करवा कर मौजा धानोल तहसील रानीवाड़ा के नवीन खसरा 1022 रकबा 2.41 हैक्टेयर में अपना 2/7 हिस्सा अलग बंटवाड़ा में प्राप्त करने का अधिकारी हैं। जिस हेतु यह दावा बाबत बंटवाड़ा खातेदारी आराजी का पेश हैं।

अतः मौजा धानोल तहसील रानीवाड़ा के नवीन खसरा नंबर 1022 रकबा 2.41 हैक्टेयर आराजी का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के बीच हिस्से व कब्जे काश्त माफिक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाड़ा कर उक्त आराजी में से वादी को 2/7 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 को 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 को 1/70 हिस्सा अलग अलग बंट में दिया जावे तथा इसी माफिक लगान के निर्धारण व राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हेतु भूमिधारी तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेश फरमावे। साथ ही बाद बंटवाडा वादी के हिस्से में प्राप्त आराजी में प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का आदेश फरमावें।

2. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से बाद तामील सम्मन अनुपस्थित होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 5 राजपेरोकार द्वारा जवाब नहीं दिया गया।

3. दिनांक 20.09.2022 को न्यायालय द्वारा वादी अधिवक्ता के निवेदन पर विवादीत आराजी मौजा धानोल के खसरा नम्बर 1022 रकबा 2.41 हेक्टेयर आराजी में खातेदारो के हक हिस्से व कब्जे काश्त अनुसार रास्ते की सुविधा देते हुए बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड के जरिये बंटवाडा प्रस्ताव के प्राथमिक डिक्री के आदेश तहसीलदार रानीवाडा को किये गये। तहसीलदार रानीवाडा से पत्रांक/कोर्ट/2022/895 दिनांक 04.10.2022 के द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा प्रस्तावित कर पत्रांक/राजस्व/2022/1089 दिनांक 30.12.2022 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किये हैं।

4. तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव को उपस्थित पक्षकारान को पढकर सुनाया गया । वादी के विद्वांन अधिवक्ता को सुना गया, जिनके द्वारा किसी प्रकार की विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं करते हुए सहमति दी गई। आदेशिका पर सहमति स्वरूप अपने हस्ताक्षर किये। अतः तहसीलदार रानीवाड़ा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग	लगान राशि
1.	अजबलाल पुत्र गोमाजी जाति मेघवाल साकिन धामसीन	1022	2.41	0.6885	बा.दो.	पीला	2.0657
2.	कान्तादेवी पत्नि मेहरूराम हिस्सा 1205/3443 जाति कोली सा. जाखड़ी, कान्तिलाल पुत्र [illegible] हिस्सा 964/3443 जाति कोली	1022	[illegible]	1.7215	बा.दो.	हरा	5.1643

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.23 15:15:08 IST
Reason: SelfAttested

	सा. रामपुरा, (गुजरात), सुगनादेवी पत्नि हरीराम हिस्सा 1205/3443 जाति कोली सा. जाखड़ी, सागर पुत्री रणछोडा हिस्सा 69/3443 जाति कोली सा. देह खातेदार						

5. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीयॉ नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। उक्तानुसार बंटवाड़ा की अंतिम डिक्री जारी की जावे। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें।

(भागीरथ राम)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा जिला – सांचौर

निर्णय आज दिनांक 15.02.2024 से सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.23 15:15:08 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix "D"-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथराम, आर.ए.एस.

वादी		प्रतिवादीगण
अजबलाल पुत्र गोमाजी जाति मेघवाल निवासी धामसीन तहसील रानीवाड़ा जिला सांचौर	बनाम	1. कान्तादेवी पत्नि मेहरूराम जाति कोली निवासी जाखड़ी तहसील रानीवाड़ा जिला, सांचौर 2. कान्तिराम पुत्र छगनाराम जाति कोली निवासी रामपुरा तहसील धानेरा जिला बनासकांठा 3. सुगनादेवी पत्नि हीराराम जाति कोली निवासी जाखड़ी तहसील रानीवाड़ा जिला सांचौर 4. सागर पुत्री रणछोड़ाराम जाति कोली निवासी धानोल तहसील रानीवाड़ा जिला सांचौर 5. भूमिधारी तहसीलदार, रानीवाड़ा जिला सांचौर

अन्तर्गत धारा 53 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 44/2022

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादी की ओर से अधिवक्ता श्री जबराराम पूरोहित उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 अनुपस्थित रहने से एक पक्षकीय कार्यवाही होने से अनुपस्थित। मनजानिव मुद्रायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क.सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग	लगान राशि
1.	अजबलाल पुत्र गोमाजी जाति मेघवाल साकिन धामसीन	1022	2.41	0.6885	बा.दो.	पीला	2.0657
2.	कान्तादेवी पत्नि मेहरूराम हिस्सा 1205/3443 जाति कोली सा. जाखड़ी, कान्तिलाल पुत्र छगना हिस्सा 964/3443 जाति कोली सा. रामपुरा, (गुजरात), सुगनादेवी पत्नि हरीराम हिस्सा 1205/3443	1022	2.41	1.7215	बा.दो.	हरा	5.1643

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.23 15:15:08 IST
Reason: SelfAttested

	जाति कोली सा. जाखड़ी, सागर पुत्री रणछोडा हिस्सा 69/3443 जाति कोली सा. देह खातेदार						

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मीमोयॉ नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाति है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 15.02.2024 को जारी की गई।

(भागीरथ राम)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–सांचौर

मुद्दई	**रूपया**	**पैसा**	**मुद्दयलाह**	**रूपया**	**पैसा**
स्टाम्प अर्जीदावा	1	00	स्टाम्प वकालतनामा	2	00
स्टाम्प वकालतनामा	2	00	ज्वाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीश्नर	0	00	फीस कमीश्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	4	00	**मौजाना**	2	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.23 15:15:08 IST
Reason: SelfAttested